बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक 02/शमन– 03 /2016 परि 1987 / पटना, दिनांक 26/04/2016

प्रधानसचिव, गृहविभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3050 दिनांक 18.04.2016 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के सभी जिलों में यातायात नियंत्रण करने, यातायात नियमों का पालन कराने तथा जाम आदि की समस्या से आम जनता को निजात देने हेतु बिहार राज्य के सभी जिला में पदस्थापित थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियेां को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 12 (बारह) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–200 के संगत प्रावधान के अंतर्गत धारा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 एवं 190 के तहत बिहार राज्य के सभी जिले के निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों को विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी ।

क्र. सं.	पदनाम	कार्य क्षेत्र
1	अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)	सम्पूर्ण जिला क्षेत्र
2	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	संबधित अनुमंडल क्षेत्र
3	प्रभाग पुलिस निरीक्षक	प्रभाग के अंतर्गत आने वाले सभी थाना क्षेत्र
4	थानाध्यक्ष	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
5	ओ0पी0 प्रभारी	सम्पूर्ण ओ0पी0 प्रभारी क्षेत्र

2. मनी रसीद/सीजर बुक आदि विभागीय प्रपत्रों की अधियाचना एव वापसी के संबंध में विभागीय पत्रांक 546 दिनांक 01.02.2016 प्रभावी होगा।

3. सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया जाता है, कि शमन की शक्ति के तहत् जुर्माना किए जाने संबंधी मनी रसीद/सीजर बुक संबंधित जिले के जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए।

4. आपूर्ति किये गए मनी रसीद/सीजर बुक को उपयोग में लाने से पूर्व अथवा अन्य पदाधिकारियों को आवंटित करने से पूर्व छपाई संबंधी त्रुटियों की जांच कर लेना सुनिश्चित किया जाए। रसीदों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इन्हें सम्बन्धित जिला परिवहन कार्यालय जहां से उक्त मनी रसीद/सीजर प्राप्त किया गया था, को वापस किया जाए।

5. व्यवहृत/अव्यवहृत रसीदों को सुरक्षित रखना, इनका अंकेक्षण यथाशीघ्र कराना एव व्यवहृत रसीदों की प्रविष्टि जिला परिवहन कार्यालय में संधारित पंजी में प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. संधारित पंजी का सत्यापन जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाए।

7. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार अपने नियंत्रणाधीन शमन प्राप्त पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा करते हुए मुख्यालय को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि मामलों की समीक्षोपरांत अगले अवधि विस्तार पर निर्णय लिया जा सके।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

26/4/16

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2/शमन–03/2016 परि. 1982 /

पटना, दिनांक 26/04/2016

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार /सभी जिला पदाधिकारी, बिहार /सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार/शक्तिप्रदत् सभी संबंधित पदाधिकारी/विभागीय मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/4/16

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।